

(नीटल अधिकारी अथवा प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद-अल्मोड़ा में हरड़ा - भिकियासैण मोटर मार्ग हेतु 4.676 हे० वन भूमि का गैर वाणिज्यिकी काया हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। F/P/UK/ROAD/10518/2015

3. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट शिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद अल्मोड़ा में 3.486 हे० राजस्व वन भूमि एवं 1.19 हे० पंचायत वन भूमि अर्थात् कुल 4.676 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा तथा वन संरक्षक, उलसी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्ति की गई है। अतः अल्मोड़ा में हरड़ा - भिकियासैण मोटर मार्ग हेतु के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्ति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (मनीज चन्दन भा.व.से.)

मुख्य वन संरक्षक,

एवं नीटल अधिकारी, उत्तराखण्ड

दिनांक: 29/01/2018
स्थान: देहरादून